आदेश फलक पर अधिकारी का आदेश	कार्रवाई की टिप्पणी

मुवापसी वाद संख्या–14 / 2007–08 / 03 / 12–13

प्रथम पक्ष ....बालकी महली वगै0

बनाम्

द्वितीय पक्ष... उमा मण्डल वगै0

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। इस वाद की कार्रवाई प्रथम पक्ष बालकी बहली पिता केतन महली, रतन महली, पिता चरकू महली सभी साकिनान बदगुन्दाखुर्द थाना गिरिडीह मुफ्फसील के आवेदन के आलोक में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 71ए के तहत प्रारम्भ की गई। वादगत भूमि का विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा एकड़ में
बदगुन्दाखुर्द / 206	04	1326 1330 1321 1355 1356 1366 1369 1379 1389 1390 1394 1397 1403 1407 1319	0.36 0.53 0.09 0.99 0.18 0.52 0.22 0.04 1.10 0.52 1.08 2.12 0.30 0.21 0.95
		रकवा–	**9.51 acre**

उपरोक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गिरिडीह ने पत्रांक 650 दिनांक 24.06.13 के द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वादगत भूमि सर्वे खतियान में काली महली वल्द विशुन महली साकिन अकदोनी के नाम से दर्ज है। हल्का कार्यालय में उपलब्ध राजस्व कागजातों के अनुसार खाता संख्या 04, प्लॉट संख्या 1397, 1355, 1326, 1394, 1407, 1330 रकवा 5.98 मध्ये 4.08 एकड़ दर्शन लोहार के नाम से जमाबंदी कायम है। खाता संख्या 04 के प्लॉट दर्ज नहीं रकवा 0.55 एकड़ बालीचन्द लोहार पिता मूरत लोहार रकवा 2.75 एकड़ बड़कू मांझी नन्हकू

मांझी [illegible] मंडल पिता स्व0 बजीर मंडल रकवा 0.20 एकड़ कवीलास [illegible] मंडल रकवा 1.30¼ के नाम से जमाबंदी कायम है तथा [illegible] बढ़ही पिता लोचन बढ़ही प्लॉट संख्या 1366, 1369, 1379 रकवा [illegible] एकड़ सेवकी देवी पति दीनदयाल मंडल प्लॉट संख्या 1394 एवं 1390 [illegible] 0.80 एकड़ धनश्याम मंडल पिता टुपलाल मंडल प्लॉट संख्या 1389 रकवा 1.10 एकड़ जमाबंदी कायम है। रामा मोहली प्लॉट दर्ज नहीं है रकवा 1.10 एकड़ भूमि की जमाबंदी कायम है। खाता संख्या 04 में रकवा 11.07¼ एकड़ की जमाबंदी कायम है जो खतियानी रकवा से 1.56¼ एकड़ अधिक है। अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बालकी महली वगैरह ग्राम बदगुन्दाखुर्द में लगभग 40–50 वर्षो से निवास नहीं कर रहे है। उनका कोई आवास भी बदगुन्दाखुर्द में स्थित नहीं है।

प्रश्नगत वाद में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष अनुपस्थित रहे है। प्रथम पक्ष रजिस्ट्री डाक एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नोटिस निर्गत किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। फलतः उनका पक्ष प्राप्त नहीं हुआ। विद्व अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी की ओर से लिखित दाखिल किया गया है कि प्रश्नगत वाद में उल्लेखित भूमि से विपक्षी का कोई सरोकार नहीं है।

अभिलेख का अवलोकन किया। विपक्षी द्वारा लिखित दिया गया है कि प्रश्नगत भूमि से उसका कोई सरोकार नहीं है। सर्वे खतियान में दर्ज काली महली वल्द विशुन महली साकिन अकदोनी से आवेदक का क्या संबंध है यह आवेदक द्वारा उल्लेख नही किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति एवं रजिस्ट्री डाक से आवेदक को नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद उन्होने अपना पक्ष नहीं रखा। प्रथम पक्ष के लगातार अनुपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में इन्हें कुछ नही कहना है। अतः प्रथम पक्ष के द्वारा दायर वाद को अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/10/16

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

21/10/16

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।